

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE, GOVERNMENT OF INDIA,
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY, DEPARTMENT OF COMMERCE
SEEPZ SERVICE CENTRE BLDG, MIDC CENTRAL ROAD,
ANDHERI (EAST), MUMBAI – 400 096


F. No. SEEPZ-SEZ/Customs/Re-making/169/2017-18

Date : 04.01.2018

NOTE

**SUB:-Declaration of Raw material components etc imported by G&J
Units in respect of goods to be manufactured by them – reg.**

With reference to the Ministry of Commerce Instruction No. 51/2010 dt 25.03.2010 and SEEPZ-SEZ Public Notice No. 01/2010 dt 08.04.2010., it is hereby brought to the notice of all concerned units that each unit shall authorise a person who will be responsible for certifying the register and inform Customs of the same. Any change in the authorized signatory shall be informed to Customs immediately. Every page in the register has to be certified by the authorized signatory and the full name, designation and stamp of the signatory should appear below each signature.


4/1/18
(ASHISH MISHRA)
SPECIFIED OFFICER
SEEPZ-SEZ, Mumbai

Copy to:-

- 1) SGJMA
- 2) Notice Board
- 3) IT Section – for uploading on the website.
- 4) Office records



भारत सरकार,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
विकास आयुक्त का कार्यालय,
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096.
ई-मेल : dcseepz-mah@nic.in


सं.सीपज़-सेज़/सीमाशुल्क/रिमेकिंग/169/2017-18

दिनांक: 02.01.2018

टिप्पणी

विषय:- रत्न एवं आभूषण यूनिटों द्वारा आयातित ऐसी कच्ची सामग्री के संघटकों के बारे में घोषणा जिनका उनके द्वारा वस्तुओं के विनिर्माण के लिए उपयोग किया गया हो ।

वाणिज्य मंत्रालय के दिनांक 25.03.2010 के अनुदेश संख्या 51/2010 तथा सीपज़-सेज़ की दिनांक 08.04.2010 की सार्वजनिक सूचना संख्या 01/2010 के संदर्भ में सभी संबंधित यूनिटों के ध्यान में यह लाया जाता है कि प्रत्येक यूनिट अपने किसी एक व्यक्ति को रजिस्टर प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत करेगा जो सीमाशुल्क को इसकी सूचना देगा । प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता में कोई परिवर्तन होने की दशा में सीमाशुल्क को इसकी तत्काल सूचना दी जाएगी । प्राधिकृत हस्ताक्षर-द्वारा रजिस्टर का प्रत्येक पृष्ठ प्रमाणित किया जाना आवश्यक होगा तथा उनके प्रत्येक हस्ताक्षर के नीचे उनका पूरा नाम, पदनाम तथा हस्ताक्षरकर्ता की मोहर आवश्यक होगी ।


(आशीष मिश्रा)

विनिर्दिष्ट अधिकारी

सीपज़-सेज़

प्रति :-

1. रत्न एवं आभूषण विनिर्माता संघ
2. सूचना पट्ट
3. आईटी अनुभाग - को वेब साइट पर अपलोड करने के लिए
4. कार्यालय अभिलेख